

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/351/2018/ दिनांक:-

आदेश

श्रीमती लीला तेजस्वी, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता अधीन खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, खण्ड लाडपुरा (कैथून), जिला कोटा का स्वयं की प्रार्थना पर निम्नानुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

1. दिनांक 08.05.2007 से 20.05.2007 तक 13 दिवस का उपार्जित अवकाश।
2. दिनांक 21.05.2007 से 04.06.2007 तक 15 दिवस का परिवर्तित अवकाश।
3. दिनांक 05.06.2007 से 07.06.2007 तक 03 दिवस का उपार्जित अवकाश।
4. दिनांक 08.06.2007 से 07.07.2007 तक 30 दिवस का परिवर्तित अवकाश।
5. दिनांक 08.07.2007 से 11.07.2007 तक 04 दिवस का उपार्जित अवकाश।
6. दिनांक 12.07.2007 से 10.08.2007 तक 30 दिवस का परिवर्तित अवकाश।
7. दिनांक 11.08.2007 से 11.09.2007 तक 32 दिवस का उपार्जित अवकाश।



(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/351/2018/389 दिनांक:- 24/02/2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा/बारां।
2. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, खण्ड लाडपुरा (कैथून), जिला कोटा।
3. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, खण्ड शाहाबाद, जिला बारां।
4. अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, गोपनीय अनुभाग(अगजपत्रित), मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि कार्मिका की मूल पत्रावली (एल-27) अनुभाग को लौटाना सुनिश्चित करावें।
5. ✓ प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. सम्बन्धित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
7. आदेश/रक्षित पत्रावली।



(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर